न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 46/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स पूनम स्वीट्स, सूर्य नगर, महेश नगर जयपुर।
2. श्री लवकुश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरुप शर्मा, निवासी प्लाट नं. 5, देव नगर, यमुनाबाडी जयपुर कार्यकर्ता फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 16.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम कविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20–04–2018 को बडे घरेलू सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच हेतु मैसर्स पूनम स्वीट्स पर पंहुच कर जांच की गयी। मौके पर उपस्थित लवकुश शर्मा ने स्वयं को फर्म मालिक का पुत्र होना बताया। दुकान के उपर बने कारखाने का निरीक्षण करने पर एक घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही में चासनी बनाई जा रही थी। कारखाने में एक और सिलेण्डर मिला। दुकान के बाहर एक घरेलू गैस सिलेण्डर रबर पाईप व रेग्यूलेटर भट्टी के साथ जोडकर काम लिया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर पाये गये कुल 3 एचपीसी के घरेलू सिलेण्डर मय 8.200 किग्रा. एलपीजी गैस के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर दिनांक 12.07.2024 को प्रार्थना पेश किया गया जिसमें अंकित है कि उक्त जब्तशुदा सामान को राजसात कर लिया जाये तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली में बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 16.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20–04–2018 को जब्त सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर एक घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही में चासनी बनाई जा रही थी तथा एक घरेलू गैस सिलेण्डर रबर पाईप व रेग्यूलेटर भट्टी के साथ जोडकर काम लिया जा रहा था। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्तशुदा सामान को राजसात कर लिया जाये तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नही किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 3 एचपीसी के घरेलू सिलेण्डर मय 8.200 किग्रा. एलपीजी गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।